

कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताओं) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), कॉलम संख्या 9 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउनावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	वेतन बैंड/पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुन्शी खान पाटौदी बाडनैर	08.07.1976	भूगोल	11.10.2006	RPSC	10 वर्ष	9300-34800	5400	11-10-2016
2	बन्नालाल गुर्जर अजगरा अजमेर	07.12.1958	भूगोल	22.08.1985	DPC	30 वर्ष	पे-मैट्रिक्स	PML -13	14-06-2018

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।


(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक -28/01/2019

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा,
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य),
3. प्रधानाचार्य, राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. गार्ड फजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर